रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 14 अगस्त, 2003/23 श्रावण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 15 जुलाई, 2003

संख्या एस0 एल0 एन0-3-76 (पंच)/2003-III-3727-32.—यह कि मदन कश्यप पुत्र स्व0 श्री गोरखिया राम, ग्राम बेर की सेर, प्रधान, ग्राम पंचायत बसाल, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपने पद से व्यवसायिक कार्यों में अतिरिक्त व्यवस्तता होने तथा पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों में पर्याप्त समय न देने की स्थिति में होने के कारण उपायुक्त, सोलन के माध्यम से अपना त्याग-पत्र दिनांक 7-7-2003 को प्रस्तुत किया है। जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, सोलन द्वारा अपनी टिप्पणी द्वारा पुष्टि की गई है।

अतः मैं, सम्पूर सिंह, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 में प्राप्त हैं, श्री मदन कश्यप, प्रधान, ग्राम पंचायत बसाल का त्याग-पत्र उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से स्वीकार करता हूं तथा प्रधान, ग्राम पंचायत बसाल का पद रिक्त घोषित करता हूं।

सम्पूर सिंह,
जिला पंचायत अधिकारी,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

1555-राजपत्र/2003-14-8-2003—1,390. (1321) मूल्य : 1 रुपया।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 23 जुलाई, 2003

संख्या एस0 एल0 एन0-12-205 (पंच)/74-4014-18.—खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया, को दो कमरे रा0 मा0 पा0 गोहरी के निर्माण हेतु मु0 2,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी । निर्माण कार्य बारे निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं ।

यह कि प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया द्वारा दिनांक 3-9-2001 को खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के पास निर्माण कार्य दो कमरे रा0 मा0 पा0 गोहरी, हेतु अनुबन्ध भरा गया । जिसमें कार्य 6 मास में पूर्ण करने का उल्लेख था ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार, जिला सोलन द्वारा पंचायत की मांग पर उक्त निर्माण कार्य की सामग्री क्रय करने हेतु समय-समय पर कुल मु0 1,70,000/- रुपए की राशि अग्रिम दी गई व प्रधान द्वारा मु0 1,57,179/-रुपए के बिल वाऊचर दिनांक 12-10-2001 तक खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार में जमा करवाए गए तथा कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।

यह कि दिनांक 9-5-2002 को कार्य का निरीक्षण तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया तथा कार्य स्थल पर किए गए कार्य का निर्धारित ड्राईंग के अनुरूप नहीं पाया गया तथा उसमें काफी त्रुटियां पाई गईं ।

यह कि दिनांक 22-5-2002 को सहायक अभियन्ता (विकास) द्वारा कार्य का निरोक्षण किया गया तथा पत्र दिनांक 12-6-2002 द्वारा यह निर्णय किया गया कि उनकी सहमति अनुसार पाठशाला के कमरों को गिराकर पुनः निर्माण किया जाए ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के कार्यालय पत्र संख्या के0 वी0 योजना-1170, दिनांक 21-5-2002 को प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया को सहायक अभियन्ता (विकास) द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति इस आशय सहित भेजी गई कि निरीक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन करें ।

यह कि दिनांक 24-7-2002 को कार्य का निरीक्षण जिला परिषद्, सोलन की निरीक्षण समिति व अध्यक्ष, जिला परिषद् सोलन द्वारा किया गया तथा भवन निर्माण कार्य बिल्कुल निम्न स्तर का पाया गया ।

यह कि दिनांक 24-7-2002 को कार्य पर लगे मजदूरों तथा प्रधान, ग्राम पंचायत पलानियां, को कार्य बन्द करने के मौखिक आदेश दिए गए तथा खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के कार्यालय पत्र संख्या के0 वी0 योजना-2386, दिनांक 3-8-2002 को लिखा गया कि कार्य बन्द कर दें तथा सहायक अभियन्ता (विकास) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के कार्यालय पत्र संख्या के0 वी0 योजना-रा0 मा0 पा0 गोहरी 2001-7789, दिनांक 14-3-2003 द्वारा आरी अन्तिम नोटिस पंजीकृत जो दस्ती रूप में दिनांक 31-3-2003 को प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया कि उक्त निर्माण दिए गए निर्देशों के अनुसार (सहायक अभियन्ता) अविलम्ब करें ।

आप द्वारा नोटिस 1 से 8 में दी गई रिपोर्ट को अस्वीकार किया परन्तु यह स्पष्टीकरण मान्य नहीं है । क्योंकि कार्य की स्थिति को देखते हुए यह तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा पूर्ण रूप में तकनीकी निर्देशों की ओर तकनीकी राय की अवहेलना है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया द्वारा भवन निर्माण कार्य में न तो अनुबन्ध में दिए गए नियमों का पालन किया गया है न ही विभिन्न अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्य के निरीक्षण के समय दिए गए निर्देशों का ही पालन किया गया है तथा निरीक्षण के समय बार-बार कार्य को घटिया स्तर का होने के बावजूद भी कार्य को मनमाने तरीके से करवाते रहे । जिसके लिए प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया दोषी हैं । क्योंकि उसने घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है तथा विभिन्न अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की है । जिसके कारण प्रधान जैसे पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है ।

अतः मैं, भरत खेडा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा धारा 146 (1) (बी0) (सी0) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री सूरत राम प्रधान, ग्राम पंचायत पलानिया, विकास खण्ड कुनिहार, डा0 बथालंग, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त तथ्यों बारे अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15 दिनों के भीतर-भीतर प्रेषित करें । निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उपरोक्त तथ्यों बारे वह दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी ।

सोलन, 23 जुलाई, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-4003-08.—यह कि श्रीमती गीता देवी सदस्या, ग्राम पंचायत भोजनगर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड सोलन का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है :—

(ग) यदि उसके दो से अधिक सन्तान हैं, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 (1) के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि श्रीमती गीता देवी सदस्या, ग्राम पंचायत भोजनगर, वार्ड नं0 2 को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व तीन जीवित सन्तानें हैं और खण्ड विकास अधिकारी सोलन ने अपने पत्र संख्या (20)/2001 (निर्वाचन) पंच-1235, दिनांक 30-6-2003 द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सदस्या के एक अतिरिक्त चौथी सन्तान दिनांक 2-3-2003 को हुई है जिसके फलस्वरूप श्रीमती गीता देवी सदस्या, ग्राम पंचायत भोजनगर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्या पद पर बने रहने के अयोग्य हो गई है ।

अतः श्रीमती गीता देवी सदस्या, उपरोक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करे कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

भरत खेडा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित